

संकल्प

विषय:- राज्य सरकार के कर्मियों को स्वीकृत किये जाने वाले मोटर कार अग्रिम राशि की अधिसीमा में अभिवृद्धि के संबंध में ।

राज्य सरकार के कर्मियों को पूरे सेवा काल में दो बार मोटर कार अग्रिम स्वीकृत किये जाने का प्रावधान था जिसमें पहली बार अग्रिम के रूप में रू० 3.00 लाख एवं दूसरी बार अग्रिम के रूप में रू० 2.00 लाख स्वीकृत किया जाता था । वर्तमान में बाजार में उपलब्ध मोटर कार की कीमतों में अभिवृद्धि के कारण उक्त अग्रिम के अधीन मोटर कार खरीदना संभव नहीं हो रहा था । संबंधित कर्मियों को अग्रिम की राशि के अलावा स्वयं के द्वारा अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करनी पड़ती थी ।

राज्य के कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण एवं वाहन की कीमतों में वृद्धि के आलोक में मोटर कार अग्रिम की राशि की अभिवृद्धि का मामला सरकार के स्तर पर विचाराधीन था ।

सम्यक विचारोपरांत मोटर कार अग्रिम की राशि की अभिवृद्धि के मद्देनजर राज्य सरकार ने अपने कर्मियों को स्वीकृत किये जाने वाले मोटर कार अग्रिम संबंधी पूर्व के संकल्प सं० 1276, दिनांक 23/02/1998 एवं 6075, दिनांक 21/11/2006 में निहित प्रावधानों में संशोधन/अभिवृद्धि करने का निर्णय लिया है जिसके अन्तर्गत राज्य के कर्मियों को मोटर कार अग्रिम निम्नरूपेण स्वीकृत की जायेगी -

1. राज्य सरकार के समूह "क" एवं "ख" के सभी कर्मियों को मोटर कार अग्रिम स्वीकृत की जायेगी ।
2. प्रथम मोटर कार अग्रिम की अधिकतम अनुमान्य राशि मोटर कार की कीमत अथवा रू० 10.00 लाख, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर होगी ।
3. द्वितीय मोटर कार अग्रिम की अधिकतम अनुमान्य राशि मोटर कार की कीमत अथवा रू० 5.00 लाख, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर होगी । द्वितीय अग्रिम की स्वीकृति प्रथम अग्रिम के मूल एवं सूद की वसूली समाप्त होने के पश्चात् ही अनुमान्य होगी ।
4. मोटर कार अग्रिम की वसूली अधिकतम 120 मासिक किस्तों में की जाएगी ।
5. कर्मियों को स्वीकृत मोटर कार अग्रिम की राशि का भुगतान संबंधित कर्मियों को नहीं कर, जिस स्थानीय प्रतिष्ठान/एजेंसी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं और उसका कोटेशन दिया है, से संबंधित प्रतिष्ठान/एजेंसी को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा ।
6. वैसे कर्मियों को यह राशि स्वीकृत नहीं की जाएगी जिनकी सेवा अवधि तीन या तीन वर्षों से कम होगी ।
7. प्रशासी/नियंत्रण पदाधिकारी इस बात की निगरानी रखेंगे कि मोटर कार अग्रिम की निकासी के एक माह के अन्दर संबंधित पदाधिकारी द्वारा कार का कय कर लिया जाय । इसके लिये वे सम्बद्ध पदाधिकारी से लिखित सूचना प्राप्त करेंगे एवं गाड़ी की पंजीयन संख्या सहित इसकी सूचना आवश्यक रूप से वित्त विभाग को अग्रसारित करेंगे ताकि अग्रिम का दुरुपयोग ना हो । नियंत्रण के लिये कोषागार पदाधिकारी, बिना नियंत्रण पदाधिकारी के विपत्र पर हस्ताक्षर के, विपत्र पारित नहीं करेंगे ।

8. नियंत्रण पदाधिकारी का यह भी दायित्व रहेगा कि जो पदाधिकारी अग्रिम की निकासी के एक माह में अन्दर गाड़ी का क्रय तथा पंजीयन संख्या की सूचना नहीं देंगे तो उनके विरुद्ध नोटिस जारी कर अग्रिम की राशि सूद सहित कोषागार में जमा करा देंगे तथा उस पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे ।

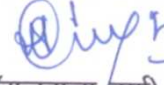
9. इन अग्रिमों पर 11.5 प्रतिशत ब्याज देय होगा ।

10. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

11. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1087/वि0अ0, दिनांक 24-09-2014 के कम में दिनांक 30-09-2014 की बैठक के मद सं0 30 में दी गई है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(राजबाला वर्मा) 9.10.2014

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- 4/वि0विविध-02/2013 - 1114/वि.अ.5

राँची, दिनांक -10.10.14

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(राजबाला वर्मा) 9.10.2014

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- 4/वि0विविध-02/2013 - 1114/वि.अ.-

राँची, दिनांक -10.10.14

प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड के सभी पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड/श्री सरोज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, पी0एम0यु0 कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(राजबाला वर्मा) 9.10.2014

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- 4/वि0विविध-02/2013 - 1114/वि.अ.-

राँची, दिनांक -10.10.14

प्रतिलिपि-सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करके e-गजट के रूप में वित्त अग्रिम शाखा को सूचना उपलब्ध करावें ।


(राजबाला वर्मा)

सरकार के प्रधान सचिव ।